समाहरणालय पलामू ।

(राजस्व शाखा)

अल्पकालिन निविदा सूचना

उपायुक्त, पलामू के आदेशानुसार DILRMP योजना अन्तर्गत खतियानों के Digitization कार्य हेतु निम्नलिखित उपस्करों एवं सामग्रियों हेतु निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 04.07.2016 को अप0 3.00 बजे तक अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय कक्ष में अपना निविदा डाल सकते हैं। दिनांक 04.07.2016 को ही अपराह्न 04:00 बजे निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्र0	सामग्रियों का नाम	संख्या
1	CAT-6 LAN Cable	150 मीटर
2	8 port LAN Switch	4 PC
3	UPS 5 KVA (2HRS Back up)	1 PC
4	Electric Board with wires (2.5mm - 1 Coil) for Computers & UPS	18
5	Chair & Desk for 15 Operators	यथोचित

निविदा की शर्तें निम्नवत है :–

1. कम्पनी को इस आशय की घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी कम्पनी का नाम काली सूची में दर्ज नही है।
2. निविदादाता को बिक्री कर/आयकर अधिनियम अन्तर्गत निबंधन का प्रमाण पत्र तथा विगत तीन वर्षों का आयकर एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 10,000.00(दस हजार) रूपये का बैक ड्राफ्ट उपायुक्त, पलामू के पदनाम एवं Payable at Daltonganj से बना हुआ जमा करना होगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदित दर में सभी प्रकार के कर एवं परिवहन व्यय संयुक्त होगा तथा सामग्रियों की आपूर्ति जिला मुख्यालय स्थित एन0आई0सी0 कार्यालय, पलामू में करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय/हथालन व्यय देय नहीं होगा।
5. निविदादाता का सामग्री/उपस्कर ISO/ISI से प्रमाणित एवं मशहूर ब्रांड का होना चाहिए।
6. स्वीकृत निविदादाता को अपर समाहर्त्ता, पलामू के समक्ष एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।
7. निर्धारित समय–सीमा के अंदर सामग्रियों के आपूर्ति नहीं करने पर निविदादाता की सुरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उनके विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
8. निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफे में जमा करना होगा।
9. दो निविदादाता के टाई की स्थिति में स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. आपूर्ति किये गए उपस्कर/सामग्री की फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र D.I.O, Palamau से प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा।
11. एकरारनामा की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
12. सामग्रियों की आपूति के तुरन्त बाद उनके Installation का कार्य करना होगा।
13. आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति की गयी सामग्रियों की वारंटी से संबंधित कागजातों को जमा करना होगा।
14. अपरिहार्य कारणों से निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

25/6/16

अपर समाहर्त्ता,
पलामू।

25.6.16